न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–टीकमगढ R-3302/II/2015

महेश प्रसाद पुत्र रघुनंदन तिवारी, निवासी ग्राम लारखुर्द तहसील जतारा, जिला टीकमगढ (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

1. महिला सावित्री देवी पत्नी प्रभूदयाल चतुर्वेदी पुत्र रघुनंदन प्रसाद तिवारी, निवासी लारखुर्द, हाल ततारपुरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ
2. रामादेवी वैवा रघुनंदन तिवारी,
3. महिला चैनूबाई पत्नी राधा बल्लभ पाण्डेय पुत्र रघुनंदन प्रसाद तिवारी, निवासी लारखुर्द, हाल जैरोन, ततारपुरा, पोस्ट भोपालपुरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
4. महिला गायत्रीदेवी पत्नी शिवनंदन वाजपेयी, निवासी लालखुर्द, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, जतारा, जिला टीमकगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3301–एक/2015 जिला–टीकमगढ़

महेश प्रसाद विरूद्ध महिला सावित्री देवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12–02–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला–टीकमगढ़ के प्र.क्र. 07/2012–2013/अपील में पारित आदेश दिनांक 14–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला–टीकमगृढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 12/2/19 सदस्य	